राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 3(15)नविवि/II/2021 जयपुर, दिनांकः 19 AUG 2021

आदेश

नगर नियोजन सेवा के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के वर्ष 2021–22 के रिक्त पदो पर पदोन्नति हेतु राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम 24(2) के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 11.08.21 को आयोजित बैठक में समिति की अभिशषा के अनुसार निम्नांकित वरिष्ठ नगर नियोजकों को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	चयन वर्ष	रिक्ति तिथि	चयन की प्रकृति
1	श्री पूरणा राम बेनीवाल	2021–22	01.04.2021	वरिष्ठता–सह–योग्यता
2	श्री मृणाल जोशी	2021–22	01.04.2021	वरिष्ठता–सह–योग्यता
3	श्रीमती प्रीति गुप्ता	2021–22	14.06.2021	वरिष्ठता–सह–योग्यता

पदोन्नति के उपरांत नगर नियोजन सेवा के निम्न अधिकारियों का पदस्थापन निम्नानुसार एतद्द्वारा किया जाता है:–

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	पदस्थापन स्थान
1	श्री पूरणा राम बेनीवाल	अति. मुख्य नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
2	श्रीमती प्रीति गुप्ता	अति. मुख्य नगर नियोजक(एल.पी), जयपुर विकास प्राधिकरण

श्री मृणाल जोशी को पदोन्नति लाभ उनके असाधारण अवकाश से वापिस ड्यूटी पर लौटने के दिन से देय होगें तथा उनके पदस्थापन आदेश भी तत्सयम ही जारी किये जायेगें।

उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10692/2021 श्री महेन्द्र बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.08.2021 एवं संशोधित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.08.2021 के परिप्रेक्ष्य में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम आदेश/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

19/8/2021
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण द्वारा– मुख्य नगर नियोजक।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय